

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह-9/2019


जयपुर, दिनांक : 04.08.2020

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक : प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के द्वारा जारी अनलॉक-3 गाईडलाईन द्वारा योग संस्थान व व्यायाम शालाओं का संचालन दिनांक 05 अगस्त, 2020 से अनुमत किया गया था।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2020 को योग संस्थानों और व्यायाम शालाओं में कोविड-19 के प्रसार को रोकने सम्बन्धी निवारक उपायों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, जो संलग्न हैं।

अतः योग संस्थानों और व्यायाम शालाओं को उक्त गाईडलाईन्स के अनुसार दिनांक 5 अगस्त, 2020 से खोले जाने हेतु अनुमत किया जावे।


(रोहित कुमार सिंह)
04/08/2020

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।

11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
15. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
16. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
17. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।



(वी. सरवन कुमार)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह

